

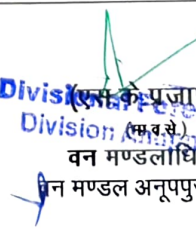
DFO द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये निर्धारित जाँच सूची

रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड, डी.बी.सिटी एम.पी.नगर भोपाल द्वारा वन मण्डल अनूपपुर अंतर्गत राजेन्द्रग्राम से पड़री मार्ग के किनारे किनारे आर्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ जिसका स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 06.05.2023 को किया गया, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विशेष	DFO(T) द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट																								
1.	सीमा हेक्टेयर	0.26 हे.																								
2.	वन क्षेत्र अंतर्गत (अक्षांश देशांश)	N 23°59'25.62" E 81°42'20.47" N 22°58.'40.09" E 81°41'40.6" N 22°97'73.69" E 81°68'72.52" N 22°96'93.85" E 81°67'85.86"																								
3.	वन भूमि (संरक्षित वन /आरक्षित वन/राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	आरक्षित एवं संरक्षित <table><tr><th>क्र.</th><th>परिक्षेत्र</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>लम्बाई(मी. में)</th><th>चौड़ाई (मी.में)</th><th>रकबा (हे.में)</th></tr><tr><td>1</td><td>जैतहरी</td><td>RF-262</td><td>3000</td><td>0.50</td><td>0.15</td></tr><tr><td>2</td><td>अनूपपुर</td><td>PF-362</td><td>2200</td><td>0.50</td><td>0.11</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total</td><td>5200</td><td>0.50</td><td>0.26</td></tr></table>	क्र.	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	लम्बाई(मी. में)	चौड़ाई (मी.में)	रकबा (हे.में)	1	जैतहरी	RF-262	3000	0.50	0.15	2	अनूपपुर	PF-362	2200	0.50	0.11			Total	5200	0.50	0.26
क्र.	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	लम्बाई(मी. में)	चौड़ाई (मी.में)	रकबा (हे.में)																					
1	जैतहरी	RF-262	3000	0.50	0.15																					
2	अनूपपुर	PF-362	2200	0.50	0.11																					
		Total	5200	0.50	0.26																					
4.	अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	आवेदक संस्था एवं वन कर्मचारियों के साथ संयुक्त सीमांकन चिन्हांकन किया गया है।																								
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	निरंक																								
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।																								
7.	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि	साल एवं मिश्रित वन है, साइट की गुणवत्ता श्रेणी IV A एवं घनत्व 0.6 है।																								
8.	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्रायः वन्य जीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	वन्य जीव बंदर, भालू, जंगली सुअर सामान्यतः पाये जाते हैं।																								
9.	वनस्पति/पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	कोई अद्वितीय पारिस्थितिकीय तंत्र मौजूद नहीं है।																								
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?	कुछ नहीं।																								
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।																								
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता	इस भूमि पर किसी भी परिवारों की निर्भरता नहीं है।																								
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की स्थिति नहीं है।																								

14.	वहां किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये हैं ? वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है ?	प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश में नहीं आयी है।
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना अनुसार विवरण गैर वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिए।	रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण राशि भुगतान करने का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र सीमा से 10 कि.मी. से अधिक दूरी पर है।
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है।
18.	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृत से इलाके के लोगों को रोजगार की संभावना है।
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं है।
20.	गैर साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइट स्पेसिफिक परियोजना है।
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है, उपयोगता एजेंसी द्वारा इसका प्रमाण पत्र	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा न्यूनतम वन भूमि की उपयोगिता बावत् प्रमाण पत्र दिया गया है।
22.	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुए पेड वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश।	प्रस्तावित कार्य से वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	कुछ नहीं।
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ डी.एफ.ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।	प्रस्तावित वन भूमि पर ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक – 02.06.2023


 Divisional Forest Officer
 Divisional Engineer (M.P.)
 वन मण्डलाधिकारी
 वन मण्डल अनूपपुर (मोप्रो)